

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या-01जी0/ई0मु0स्था0-10-02/2013 श्री शशिभूषण सिंह,
सहायक निदेशक कल्याण (मुख्यालय), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-537 दिनांक 28.02.2018 द्वारा
आय-व्ययक शीर्ष-2225 का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया था। उक्त
आदेश को संशोधित करते हुए श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मुख्यालय),
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को बिहार
कोषागार संहिता 2011 के नियम-83 एवं 84 के अधीन निम्नांकित व्यय शीर्ष के निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है-

आय-व्ययक शीर्ष का विवरण

क्र०सं० व्यय शीर्ष

1. आय-व्ययक शीर्ष-2225 अनु० जातियों, अनु० जनजातियों एवं अन्य
पिछड़ा वर्गों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-0101-निदेशन
प्रशासन विपत्र कोड-44-2225010010001
 2. आय-व्ययक शीर्ष-"8011 ग्रूप बीमा"
 3. आय-व्ययक शीर्ष-8009-राज्य भविष्य निधियाँ
 4. आय-व्ययक शीर्ष-2071 पेंशन
 5. आय-व्ययक शीर्ष-7610-सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत अग्रिम।
- 2- प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1जी0/ई0मु0स्था0-10-02/2013- 1588 पटना, दिनांक- 3.7.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंचाई भवन,
पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्रीमती अनिता कुमारी,
अवर सचिव/निदेशक/श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (मुख्यालय)/श्री
शशिभूषण सिंह, सहायक निदेशक (मुख्यालय), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव (बजट)/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट/
आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव